प्रेस विज्ञप्ति
03.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने 2018 से 2024 के बीच महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज, कलबुर्गी (एमआरएमसी) में आरोपियों द्वारा रचित छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में 02.03.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत में भीमाशंकर बिलगुंडी और मल्लाना एस मद्दारकी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी ने कर्नाटक के कलबुर्गी शहर केंद्रीय अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं 1860 के तहत डॉ. एस एम पाटिल, केनरा बैंक के प्रबंधक सुभाष और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है।

ईडी की जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी भीमाशंकर बिलगुंडी (उस समय हैदराबाद एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष, जो एमआरएमसी का प्रबंधन करती है), ने लेखा विभाग के कर्मचारियों और मल्लाना एस मद्दारकी (एचकेई सोसाइटी के कार्यालय अधीक्षक) की सहायता से, 2018 से 2024 के बीच, एमआरएमसी के स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों के बैंक खातों में जमा छात्रवृत्ति राशि में से 33,34,78,691 रुपये की हेराफेरी की। उन्होंने प्रवेश के समय छात्रों से खाली हस्ताक्षरित चेक एकत्र किए और उन चेकों में विवरण भरकर उन्हें भुना लिया, जिससे छात्रों को उनके हक की छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया।

इस मामले में पीएमएलए की धारा 17 के तहत अप्रैल और मई 2025 के दौरान कर्नाटक के कलबुर्गी में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

जांच के दौरान, मुख्य आरोपी भीमाशंकर बिलगुंडी द्वारा अपने बेटों राजकुमार बिलगुंडी और संतोष बिलगुंडी के नाम पर खरीदी गई अचल संपत्तियों, भीमाशंकर बिलगुंडी के कई बैंक खातों और दूसरे आरोपी मल्लन्ना एस मद्दारकी की अचल संपत्तियों के रूप में प्राप्त 6.72 करोड़ रुपये की अपराध-प्राप्त राशि को पीएमएलए की धारा 5 के तहत दिनांक 18/07/2025 और 04/09/2025 के पीएओ के माध्यम से अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया।

आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।

आगे की जांच जारी है।
